संजीवनी कोष

छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा
मंत्रालय रायपुर

1. **संक्षिप्त नाम–**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **छत्तीसगढ़ संजीवनी सहायता कोष** नियम, 2001 है।

(2) ये नियम ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे, जिसे राज्य सरकार छत्तीसगढ़ राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2. **परिभाषायें–** इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा न हो:–

(क) निधि अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ संजीवनी सहायता कोष,

(ख) राष्ट्रीय निधि से अभिप्रेत है, भारत सरकार की राष्ट्रीय संजीवनी सहायता,

(ग) प्रबंध समिति से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा संजीवनी सहायता कोष के प्रबंधन के लिए गठित समिति,

(घ) चिकित्सा संस्थान – चिकित्सा संस्थान से अभिप्रेत है, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा, विभाग के द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत चिकित्सालय/औषधालय/चिकित्सा संस्थान है, जो विभिन्न प्रकार के रोगों के इलाज करने के लिए प्राधिकृत है।

(च) दानदाता से अभिप्रेत, इस निधि से दान देने वाले व्यक्ति/संस्थाओं से है।

(छ) रोगी से अभिप्रेत उन रोगियों से है, जो जीवन घातक बड़े रोगों से पीड़ित हो तथा गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्य हों।

(ज) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा इस प्रयोजन के लिए परिवार की निर्धारित वार्षिक आय से कम आय होना।

3. **निधि का गठनः–**

निधि की स्थापना राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान से की जायेगी। इस निधि में भारत से प्राप्त अंशदान, जमा राशि पर अर्जित ब्याज, दानदाताओं द्वारा दी गई दान की राशि भी सम्मिलित रहेगी। निधि का प्रबंध इस प्रयोजन के लिए गठित प्रबंध समिति द्वारा किया जायेगा। इस निधि के लेखों का अंकेक्षण किया जायेगा। निधि की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में स्वास्थ्य आयुक्त एवं संचालक, स्वास्थ्य सेवायें के संयुक्त खाते में जमा की जायेगी।

4. **निधि से सहायताः–**

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में शामिल व्यक्तियों मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत धारित कार्डधारियों तथा विशेष परिस्थितियों में इस नियम को शिथिल करने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्रीजी को होगा को जीवन घातक गंभीर बीमारियों के विशेषज्ञ इलाज, औद्योगिक दुर्घटना एवं कृषि उपकरणों के संचालन से हुई दुर्घटना के परिणाम स्वरूप हुए आघात/चोट के उपचार, बम विस्फोट तथा प्राकृतिक आपदाओं से पहुंचे आघात के इलाज के लिये जिसके इलाज पर रूपये 25000/–(पच्चीस हजार) से अधिक व्यय अनुमानित हो, केवल एक बार सहायता दी जायेगी। यह सहायता केवल राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत औषधालयों/चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों आदि में इलाज कराने पर ही दी जायेगी। उक्त सहायता इस प्रयोजन के लिए गठित प्रबंध समिति द्वारा स्वीकृत करायी जायेगी। सहायता रोगी को न दी जाकर उक्त रोगी के इलाज हेतु संबंधित चिकित्सा संस्थान को दी जायेगी। संजीवनी कोष की अधिकतम राशि रू. 1.50 लाख की स्वीकृत की जा सकेगी विशेष परिस्थितियों में मान. मुख्यमंत्री जी को इस नियम को भी शिथिल करने का अधिकार होगा। अधिक व्यय संभावित होने पर अतिरिक्त राशि के लिये भारत सरकार से सहायता प्राप्त की जायेगी। संजीवनी कोष में पात्र हितग्राहियों को गुर्दा प्रत्यारोपण हेतु 3 लाख व हेड इन्जूरी (मस्तिष्क में चोट) हेतु रूपये 2 लाख की स्वीकृत किये जाऐंगे।

5. **सहायता के लिए आवेदन पत्र इस हेतु निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ठ क) पर संचालक, चिकित्सा सेवाएं छत्तीसगढ़ शासन को आवेदन करना होगा तथा आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगाः–**

(क) छत्तीसगढ़ के मूल निवासी प्रमाण पत्र।

(ख) गरीबी रेखा योजना के नीचे जीवन यापन करने वाले अथवा मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना के हितग्राही परिवार का सदस्य होने का कलेक्टर का प्रमाण पत्र।

(ग) पंजीकृत औषधालय/चिकित्सा संस्थान से चिकित्सा पर संभावित व्यय का प्राक्कलन।

(घ) समिति राज्य के भीतर तथा राज्य के बाहर ऐसी चिकित्सा संस्थाओं का चयन करेगी, तथा उन्हें सूचीबद्ध करेगी, जो सस्ती दर पर अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करायेगी। समिति अपने लिए उक्त चिकित्सा संस्थाओं में समिति द्वारा मांग किये गये प्रकरणों की अनुमति प्रदान करेगी तथा संबंधित संस्थानों को निर्धारित दर के आधार पर भुगतान करेगी।

(च) समिति इस प्रकार के सूचीबद्ध चिकित्सा संस्थान एवं विभिन्न गंभीर रोगों के लिए निर्धारित उपचार व्यय की जानकारी समस्त जिलों के सिविल सर्जनों को उपलब्ध करायेगी एवं राज्य शासन की इस योजना का संपूर्ण जनता को प्रचार–प्रसार के माध्यम से अवगत कराया जायेगा।

(छ) आपात स्थिति व दुर्घटना होने पर प्राप्त प्रकरण संजीवनी कोष में नामांकित/गैरनामांकित अस्पतालों में भर्ती होने पर सात दिवस के अंदर आवेदन प्रस्तुत करेंगे, जिस पर निम्नांकित समिति निर्णय कर निर्धारित राशि का भुगतान संबंधित संस्थान को किया जा सकेगा।

समिति के पदाधिकारी

संचालक स्वास्थ्य सेवायें	–	**अध्यक्ष**
संचालक चिकित्सा शिक्षा	–	**उपाध्यक्ष**
अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर	–	**सदस्य**
एच.ओ.डी. मेडिसिन विभाग (चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर)	–	**सदस्य**
एच.ओ.डी. सर्जरी विभाग (चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर)	–	**सदस्य**
नोडल अधिकारी संजीवनी कोष	–	**सदस्य/सचिव**

स्थापित किया जाता है।

विविध–

(क) इस निधि से प्राप्त सभी दान/अंशदान आयकर (द्वितीय संशोधन), अध्यादेश, 1996 (1996 का 32वां) दिनांक 31/12/96 के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 के तहत आयकर के भुगतान से छूट रहेगी।

(ख) प्रबंध समिति की बैठक आवश्यकतानुसार की जाएगी, जिसमें समस्त लंबित प्रकरणों पर विचार किया जाएगा।

(ग) प्रबंध समिति द्वारा स्वीकृत किए गए प्रकरणों का ब्यौरा प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रत्येक तैंमास प्रकाशित किया जाना होगा।

(घ) इन नियमों में संशोधन एवं निर्णय के अधिकार राज्य शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को रहेंगे।

(च) बैठक के लिए गणपूर्ति–समिति के अधिकृत सदस्यों में आधे (1/2) सदस्यों की उपास्थिति में अनिवार्य होगी, सभी निर्णय सर्व सम्मति से लिए जाएंगे।

(छ) समिति का कार्यकारी, कार्यालय संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें के अधीन स्थापित किया गया है, जिसमें आवश्यकतानुसार सेवा निवृत्त अधिकारी संविदा आधार पर रखे जा सकेंगे।

(आवेदन –पत्र भरने के निर्देश)

1. आवेदन–पत्र जिला जिलाध्यक्ष कार्यालय/सिविल सर्जन कार्यालय अथवा जिला अस्पताल से उपलब्ध फार्म में अथवा निर्धारित प्रारूप में पठनीय हस्तलिपि/टाईप कराकर किया जाना चाहिये।

2. आवेदन–पत्र के बिन्दु कं. 1 से 11 तक का विवरण एवं आवेदक का घोषणा –पत्र पठनीय हस्तलिपि में अथवा टाईप कराकर भरा जा सकता है। आवेदन पत्र अपेक्षित जानकारी साफ–साफ और पूर्ण रूप से करी जानी चाहिये।

3. आवेदन के बिन्दु कमांक 11 तक की प्रविष्टियां करने और घोषणा–पत्र हस्ताक्षर के बाद इलनाज कर रहे चिकित्सक का सु–स्पष्ट प्रमाण–पत्र अंकित करने के बाद इसे जिले के जिलाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाना चाहिये। जिले के कलेक्टर आवेदक के मूल–निवासी एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले प्रमाण पत्र को अंकित करके आवेदन–पत्र को संबंधित आवेदक को वापस करेगा जिसके बाद आवेदक को जिले के सिविल सर्जन कार्यालय/जिला अस्पताल में उपस्थित होकर सिविल सर्जन से अपनी जांच करानी चाहिये और सिविल सर्जन को प्रमाण–पत्र अंकित करना चाहिये।

सिविल सर्जन द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र अंकित कराने के बाद आवेदन को आवेदक स्वयं, किसी पत्र–वाहक के माध्यम से डाक द्वारा स्वास्थ्य आयुक्त सह सचिव संजीवनी सहायता कोष संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग., पुराना नर्सेस हॉस्टल डी.के.एस. परिसर मंत्रालय रायपुर को भेजा जाये।